पंजीकृत
SR.105

संख्या: 1337डी/छ:-12-200(43)डी/89

प्रेषक,

श्री आदित्य कुमार रस्तोगी,
गृह सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

जारी
15/7/91

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-12 लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 1991

विषय: वर्ष 1984 के दंगों में मृतक सिक्खों की विधवाओं को पेंशन दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या को लेकर माह अक्तूबर/नवम्बर, वर्ष 1984 में हुए दंगों में मारे गये सिक्खों की विधवाओं को 1 [illegible], 1991 से रू0 500/- (रू0 पांच सौ मात्र) प्रति मास जीवन पर्यन्त अथवा पुनर्विवाह तक पेंशन, निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जायेगी :-

1. (1) उक्त विधवाओं द्वारा पुनर्विवाह नहीं किया गया है।
(2) इन विधवाओं का कोई नौकरी पेशा/बालिग पुत्र/वयस्क पुत्र न हो।
(3) जिन विधवाओं को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका।
(4) सम्बन्धित विधवा का प्रदेश में प्रवास के दौरान ही पेंशन दी जायेगी।

2- पेंशन स्वीकृत करने का तरीका तथा अधिकार

(1) उपरोक्त पेंशन प्राप्त करने के लिए वे ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जायेंगे जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अपवाद के रूप में वही दावे स्वीकार किये जायेंगे जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराये जाने के अच्छे और पर्याप्त कारण बताये जायें और ऐसे पेंशन सम्बन्धी दावों के तथ्यों की पुष्टि में अभिलेखीय एवं विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध कराये जायें।

(2) इस प्रकार के पेंशन के प्रार्थना पत्र (जिसका प्रारूप संलग्न है) सार्वजनिक नोटिस देकर शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित प्रपत्र पर पेंशन आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी।

------ 2

(3) उपरोक्त उपबन्धों के अधीन स्वीकृत होने वाली विधवा पेंशनों को स्वीकृत करने का अधिकार शासन के गृह विभाग को होगा।

(4) विधवा पेंशन का भुगतान महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जारी किये गये पेंशन प्राधिकार पत्र पर होगा।

3. पेंशन बन्द करना :-

(1) इस शासनादेश के अधीन स्वीकृत की गयी पेंशन किसी भी समय कारण बताओं नोटिस देकर निरस्त की जा सकती है।

(2) उपरोक्त पेंशन निम्नलिखित आधारों पर भी किसी समय समाप्त की जा सकती है:-

1. नैतिक अपराध तथा अराष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के कारण ।

2. किसी भी जुर्म (राजनैतिक सजाओं को छोड़कर जिसमें कि राजनैतिक जुलूस में धारा 144 के उल्लघंन, आदि में मिली सजा भी सम्मिलित होगी) पर दंडित होने के कारण ।

3. इस शासनादेश के अनुसार पेंशन पाने के लिए अपात्र होने के बावजूद, सही तथ्यों को छिपाकर अथवा गलत तथ्यों को रखकर, पेंशन स्वीकृत करा ली गई हो।

4. पेंशन का संक्रमण या राशिकरण :-

उपरोक्त नियमों के अधीन स्वीकृत पेंशन का संक्रमण अथवा राशिकरण नहीं किया जा सकेगा और पेंशन प्राप्तकर्ता विधवा अपनी पेंशन की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम धनराशि नहीं लेगी ।

5- पेंशन हेतु आवेदन पत्र देने की रीति :-

(क) इस शासनादेश के अधीन पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र विधवा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को देंगी ।

(ख) आवेदिका (विधवा) को अपने पति की अक्तूबर/नवम्बर, 1984 के दंगों में हुई मृत्यु के समर्थन में निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण भी प्रस्तुत करने चाहियें :-

(1) मृत्यु प्रमाण पत्र ।

(2) घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि ।

— 3

3. 3. उपरोक्त (1) तथा (2) में उल्लिखित प्रमाण उपलब्ध न होने पर एक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र और जहाँ नोटरी प्रथा न हो, वहाँ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र जिसमें मृत्यु के दिनाँक, स्थान, समय आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय तथा उन कारणों पर प्रकाश डाला जाय जिनकी वजह से प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी गई या मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त किया गया।

(ग) प्राप्त आवेदन पत्रों की आवश्यक जाँच करके अथवा कराकर अपनी आख्या/संस्तुति के साथ, विलम्बतम एक माह के अन्दर शासन को भेजेंगे। उपरोक्त प्रस्तर 5(ख)(3) से आवृत होने वाले मामलों में आवश्यक जाँच जिला मजिस्ट्रेट अथवा परगना मजिस्ट्रेट स्वयं मौके पर जाकर करेंगे और जाँच आख्या आवेदन पत्र के साथ ही शासन को भेजी जायेगी।

6. विविध:-

(1) जो आवेदिका ऐसे विवरण या प्रमाण्य पत्र के आधार पर, जो गलत पाये जायें, विधवा पेंशन प्राप्त करेगी तो उपरोक्त स्वीकृत पेंशन किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी तथा पेंशन के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त उसके विरूद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही भी जा सकेगी।

7- मुझे यह अनुरोध करना है कि इस सम्बन्ध में कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और उपरोक्त योजना का प्रचार/प्रसार प्रेस नोट के द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों आदि के माध्यम से कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।

8- इस मद पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 28 के अधीन लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-दंगापीड़ितों को सहायता-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 ई-6/1027/91, दिनाँक

---- 4

1-6-91 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

10- कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

। आदित्य कुमार रस्तोगी ।
गृह सचिव ।

संख्या: 1337।1।डी/छ:-12 तद् दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा परीक्षा-प्रथम/सी.ए.एस.एस.-तीन/टी.ए.डी.कोआर्डिनेशन, उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

। आर0 के0 सिंह ।
संयुक्त सचिव ।

संख्या: 1337।2।डी/छ:-12 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
2- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
3- गृह सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
4- वित्त सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।
5- मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग 1/3.

आज्ञा से,

। आर0 के0 सिंह ।
संयुक्त सचिव ।

का0/प्र0
12/7/91

प्रपत्र जिसमें वर्ष 1984 के दंगों में मृतक सिक्खों की विधवाओं द्वारा पेंशन हेतु प्रार्थना पत्र दिया जायेगा ।

1- प्रार्थिनी (विधवा) का नाम :.....

2- प्रार्थिनी के पति का नाम .....
(जिनकी उपरोक्त दंगों में मृत्यु हुई)

3- प्रार्थिनी का पूरा स्थायी पता .....

4- तिथि जब से प्रार्थिनी उत्तर प्रदेश : .....
की निवासी है .....

5- घटना का विवरण जिसमें प्रार्थिनी .....
के पति की मृत्यु हुई .....

6- क्या उपरोक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी? यदि हाँ, तो कृपया इसकी प्रति संलग्न करें, यदि नहीं, तो कृपया उन कारणों का उल्लेख करें। .....

7- क्या प्रार्थिनी को उसके पति की मृत्यु के पश्चात् .....
कोई रोजगार उपलब्ध कराया गया? .....

8- क्या शासन से राहत के रूप में कोई आर्थिक .....
सहायता उपलब्ध कराई गयी ? .....

9- यदि हाँ तो उसका विवरण दें .....

10- परिवार के सदस्यों का विवरण ..... नाम आयु सम्बन्ध

11- अपने अभिकथन के पक्ष में प्रार्थिनी यदि कोई .....
अन्य सूचना/अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे .....

12- प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले .....
प्रमाण पत्र के सन्दर्भ .....

घोषणा

मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है, यदि कोई विवरण गलत सिद्ध हो, तो विधि व्यवस्था के अनुसार दण्ड की भागी हूँगी और शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेंशन बन्द कर दें और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी

गई है वह भूमि कर के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय ।

दिनाँक:

प्रार्थिनी के हस्ताक्षर
या निशानी अंगूठा

नोट:- प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त कथन की पुष्टि में आवेदिका द्वारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

रसीद

श्रीमती .... से दिनाँक .... को पेश प्रार्थना पत्र सं० .... प्राप्त किया ।

प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले
कर्मचारी के हस्ताक्षर ।